भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1537

सोमवार, 09 फरवरी, 2026/20 माघ, 1947 (शक)

गिग कामगारों का कल्याण

1537. श्री कुलदीप इंदौरा:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने डिलीवरी एजेंट, कैब ड्राइवर, फ्रीलांसर आदि जैसे लाखों गिग कामगारों की अनिश्चित और असुरक्षित रोजगार स्थितियों को देखते हुए, उन्हें स्वास्थ्य बीमा, सामाजिक सुरक्षा और न्यूनतम मजदूरी जैसी सुविधाएं प्रदान करने के लिए कोई उपाय किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का कर्मचारियों को औपचारिक कर्मचारियों के स्थान पर "स्वतंत्र ठेकेदार" के रूप में वर्गीकृत करने के कारण कंपनी कर्मियों द्वारा उनके साथ किए जा रहे भेदभाव को दूर करने के लिए ठोस कदम उठाने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का गिग कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा, न्यूनतम अधिकारों और शिकायत निवारण के लिए एक स्पष्ट तंत्र सुनिश्चित करने हेतु एक समर्पित राष्ट्रीय नीति या कानून लाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ङ): सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 दिनांक 21.11.2025 से लागू हो गई है, जिसका उद्देश्य मौजूदा सामाजिक सुरक्षा कानूनों को एक एकल ढांचे में समेकित करना और सरल बनाना है। इसका लक्ष्य संगठित, असंगठित, गिग, प्लेटफॉर्म और स्व-नियोजित कामगारों सहित सभी कामगारों को सामाजिक सुरक्षा लाभों तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करके सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार करना है। यह संहिता विभिन्न रोजगारों और राज्यों में लाभों की सुवाह्यता (पोर्टेबिलिटी) को बढ़ावा देने, केंद्र और राज्य सरकारों को उपयुक्त योजनाएं बनाने के लिए समर्थ बनाने और कुशल वितरण के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने पर केंद्रित है। इसके अतिरिक्त, यह श्रम बाजार की बदलती परिस्थितियों के अनुरूप कार्यबल को व्यापक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकारों, नियोक्ताओं और एग्रीगेटर्स की भूमिकाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करती है।

जारी/2--

पहली बार सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में 'गिग वर्कर्स' और 'प्लेटफॉर्म वर्कर्स' की परिभाषा और उनसे संबंधित उपबंधों का प्रावधान किया गया हैं।

संहिता के अनुसार, 'गिग वर्कर' को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जो पारंपरिक नियोक्ता-कर्मचारी संबंध से बाहर कार्य करता है या किसी कार्य व्यवस्था में भाग लेता है और ऐसी गतिविधियों से आय अर्जित करता है।

यह संहिता गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए जीवन और नि:शक्तता कवर, दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ, वृद्धावस्था संरक्षण आदि से संबंधित मामलों पर उपयुक्त सामाजिक सुरक्षा उपाय तैयार करने का प्रावधान करती है। इन कल्याणकारी योजनाओं के वित्तपोषण के लिए संहिता में एक सामाजिक सुरक्षा कोष की स्थापना का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, यह संहिता गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के कल्याण के उद्देश्यों हेतु एक राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के गठन का भी प्रावधान करती है।

संहिता में समुचित सरकार द्वारा असंगठित, गिग और प्लेटफॉर्म कामगारों के लिए एक टोलफ्री कॉल सेंटर-, या हेल्पलाइन या सुविधा केंद्रों की स्थापना के प्रावधान हैं। इन सुविधाओं का उद्देश्य उपलब्ध सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के बारे में जानकारी प्रसारित करना, पंजीकरण के लिए आवेदन पत्रों को भरने, संसाधित करने और अग्रेषित करने की प्रक्रिया को सुगम बनाना, पंजीकरण प्राप्त करने में सहायता करना तथा पंजीकृत असंगठित कामगारों, गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में नामांकन की सुविधा प्रदान करना है।

******